न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 34 / 2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी पुलिस थाना
सिणधरी

बनाम

अप्रार्थी–
उमाराम पुत्र देराजराम जाति जाट
निवासी नेहरों की ढाणी पुलिस थाना
आरजीटी नगर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.12.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 28.08.2021 को श्री शुभकरण आरपीएस वृत्ताधिकारी गुडामालानी ने लिखित रिपोर्ट पेश कर थाना हाजा पर प्रकरण दर्ज करवाया कि दिनांक 27.08.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा टेलिफोन द्वारा सूचना दी कि सरहद भूंका भगतसिंह में श्री जब्बरसिंह निपु एसओजी जोधपुर ने थाना हाजा से इमदाद जाबता में गये हुए श्री कानाराम हैडकानि 124 मय श्री रामाराम कानि 1239, श्री दीपक कुमार कानि 10290, श्री उदाराम कानि 1203 के साथ संयुक्त रूप से दबिश देकर न्यू रामदेव होटल के पीछे की तरफ करीब 20 किलोमीटर दूर खेत में एक टेंकर में भरा हुआ बायोडीजल एवं पास में खड़ी एक नम्बरी पिकअप जिसका चैसिस नंबर MA1ZC4TDKJ1B23849 था की तलाशी खाली पाई को जब्त किया है। इस पर जब्ती कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी को जरिये फोन सूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया मगर कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया है तथा मन वृत्ताधिकारी भी दिनांक 27.08.2021 को अतिआवश्यक बैठक में बाड़मेर गया होने से मौके पर नहीं पहुंच सका था। इस पर रात्रि होने से श्री कानाराम हैडकानि मय जाब्ता द्वारा उक्त दस्तयाबसुदा टैंकर को प्राईवेट ट्रेक्टर से जोतकर थाना सिणधरी परिसर में खड़ा करवाया गया है। थाना परसिर में खडे टैंकर का मुआयना करने पर टैंकर में बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्तानुसार एफआईआर संख्या 0137 दिनांक 28.08.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। सीजशुदा बायोडीजलनुमा पदार्थ खाली ड्रम में खालीकर नाप किया गया तो कुल 1015 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम उमाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी नगर जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजल अपने कब्जे में संग्रहण करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी उमाराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1013.500 लीटर बायोडीजल मय टैंकर (पानी की टंकी) का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों व आधारों पर यह परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज किया है। अप्रार्थी द्वारा अपने पानी की खाली टंकी को अपने चाचाई भाई डालूराम [illegible] पि0 तुलछाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी [illegible] के खेत में छोड़कर अपने गांव नेहरों की ढाणी चला गया था। अप्रार्थी को करीब 10–12 दिन बाद पुलिस थाना सिंणधरी से फोन आने पर ही परिवाद में दर्ज तथ्यों की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सर्वप्रथम हुई। अप्रार्थी का जब्तशुदा बायोडीजल से कोई सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा जब्तशुदा पानी की टंकी में बायोडीजल न तो अप्रार्थी के सामने जब्त किया है और न ही उसके सामने किसी प्रकार का सैम्पल लिया गया है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जिसे उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है और उसका उक्त टैंकर एवं जब्तशुदा बायोडीजल से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी उमाराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी नगर जिला बाड़मेर को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण करते हुए पाया गया। टैंकर के ढक्कन खोलकर जांच करने पर कुल 1013.500 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि पुलिस द्वारा मनगढत एवं गलत तथ्यों को आधार बनाकर उक्त परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज किया है। अप्रार्थी का जब्तशुदा बायोडीजल से कोई सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा जब्तशुदा पानी की टंकी में बायोडीजल न तो अप्रार्थी के सामने जब्त किया है और न ही उसके सामने किसी प्रकार का सैम्पल लिया गया है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जिसे उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है और उसका उक्त टैंकर एवं जब्तशुदा बायोडीजल से कोई सरोकार नहीं है। इस्तगासा के तथ्य एवं अप्रार्थी के जवाब अनुसार अप्रार्थी को जब्तशुदा बायोडीजल के संग्रहण एवं किसी प्रकार के कृषि अथवा व्यक्तिगत उपयोग के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और न ही इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई बिल इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण एवं कब्जे बाबत किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी परिलक्षित नहीं हो रही है, ऐसे में जब्तशुदा पेट्रोलियम राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा जहां तक उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण में प्रयुक्त टैंकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

(पानी की टंकी) का प्रश्न है तो प्रार्थी द्वारा इसे अप्रार्थी के आधिपत्य से जब्त किया जाना परिवाद में उल्लेखित नहीं किया गया है बल्कि लावारिस रूप में खेत में बरामद की गई है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह अभिकथन किया है कि वह अपने परिचित के खेत में टैंकर छोडकर गया था जिसका संभवतः किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम संग्रहण में काम लिया गया है। इस तथ्य से अप्रार्थी अनजान होने से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। लिहाजा जब्तशुदा टैंकर (पानी की टंकी) को राजसात किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के स्वामित्व के टैंकर में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने का पर्याप्त आधार है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 1015 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (बायोडीजल) राजसात किया जाता है। उक्त राजसात किये गये पेट्रोलियम पदार्थ का उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी, थानाधिकारी सिणधरी एवं उपकोषाधिकारी सिणधरी की संयुक्त कमेटी द्वारा सार्वजनिक नीलामी से विक्रय किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर (पानी की टंकी) को कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाकर थानाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इसे अप्रार्थी को सुपुर्द किया जावे।

5. आदेश आज दिनांक 13.12.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:12 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर